भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4379

27 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

एआरएचसी के अंतर्गत सरकार द्वारा वित्तपोषित खाली मकान

4379. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु में प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) योजना के लिए चिह्नित किए गए सरकार द्वारा वित्तपोषित खाली मकानों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितनी इकाइयों को किराये की आवासीय इकाइयों में परिवर्तित किया गया है;

(ग) ए.आर.एच.सी योजना का व्यापक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा राज्यवार, विशेषकर तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों में सरकार द्वारा वित्तपोषित शेष खाली पड़े मकानों को एआरएचसी इकाइयों में शीघ्र परिवर्तित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) तमिलनाडु में ग्रीनफील्ड एआरएचसी इकाइयों के निर्माण में सरकारी-निजी भागीदारी के सामने आ रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने तमिलनाडु सहित देश भर में शहरी प्रवासियों/गरीब व्यक्तियों को उनके कार्यस्थल के पास सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) की एक उप-योजना के रूप में किफायती किराये के आवास परिसर (एआरएचसी) शुरू किए हैं। इस योजना को दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है:

i. मॉडल-1**:** जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और राजीव आवास योजना (आरएवाई) के तहत निर्मित मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली आवासों का

उपयोग सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) या सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से एआरएचसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाएगा।

ii मॉडल-**2:** सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा अपनी उपलब्ध खाली भूमि पर एआरएचसी के निर्माण, संचालन और रखरखाव द्वारा।

इसके संचालन संबंधी दिशानिर्देश **https://arhc.mohua.gov.in/filesUpload/Operational-Guidelines-of-ARHCs.pdf** पर उपलब्ध हैं।

तमिलनाडु में एआरएचसी में बदलने के लिए कोई सरकारी वित्तपोषित खाली आवास उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, मॉडल-1 के तहत, अब तक, अन्य राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में 5,648 मौजूदा सरकारी वित्तपोषित खाली आवासों को एआरएचसी में बदल दिया गया है। हालाँकि, मॉडल-2 के तहत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 7 राज्यों में 82,273 नई एआरएचसी इकाइयों के प्रस्तावों को अनुमोदित किया है, जिनमें से 35,425 तमिलनाडु में पूरी हो चुकी हैं।

मंत्रालय समय पर पूरा करने के लिए एआरएचसी परियोजनाओं सहित योजना की प्रगति पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और विभिन्न सार्वजनिक/निजी एजेंसियों के साथ नियमित समीक्षा करता है।

पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और दिनांक 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-यू **2.0** 'सभी के लिए आवास' मिशन का शुभारंभ किया है, ताकि चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से **1** करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर आवास बनाया, खरीदा और किराये पर लिया जा सके। पीएमएवाई-यू 2.0 के एआरएच घटक का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों और अन्य गरीब व्यक्तियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यू)/निम्न आय समूह (एलआईजी) के लाभार्थियों के लिए किराये के आवास परियोजनाओं का निर्माण करना है, जो अपना आवास नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समय के लिए आवास की आवश्यकता है। ग्रीनफील्ड एआरएच परियोजनाओं के निर्माण के लिए सार्वजनिक/निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत विभिन्न प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है। पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के दिशा-निर्देश **https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-**2.**pdf** पर देखे जा सकते हैं।

*****